भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2112

12 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

वैज्ञानिक प्रकाशन

†2112. श्री राव राजेन्द्र सिंहः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों के दौरान देश में वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में वैज्ञानिक प्रकाशनों को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) के संबंध में वैज्ञानिक समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी पहल की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश पेटेंट अनिवासियों द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान, संयुक्त राज्य अमेरिका की नवीनतम विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संकेतक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	2018	2019	2020	2021	2022
प्रकाशनों की संख्या	130,235	132,820	148,410	179,806	207,390

(ख) सरकार ने देश में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और अनुसंधानकर्ताओं को वैज्ञानिक प्रकाशनों हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बजट आवंटन में लगातार वृद्धि, एएनआरएफ अधिनियम 2023 के माध्यम से अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) की स्थापना, उत्कृष्टता केंद्रों का स्थापना, अनुसंधान अध्येतावृत्ति आरंभ करना, अनुसंधान कार्यक्रम, अनुसंधान एवं विकास में उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, आदि शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की बाह्य परियोजना वित्त पोषण और अध्येतावृत्ति योजनाएं अनुसंधानकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करने हेतु

प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई हैं। इनमें स्वच्छ ऊर्जा, जल, नैनो और उन्नत सामग्री, साइबर-भौतिकीय, क्वांटम विज्ञान, भू-स्थानिक, जैव प्रौद्योगिकी, औद्योगिक प्रौद्योगिकी, आदि के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास निधियन शामिल हैं। इन अनुसंधान पहलों के परिणामों में अनुसंधान प्रकाशन और बौद्धिक संपदा का सृजन, मुख्य रूप से पेटेंट, प्रौद्योगिकी अंतरण और कुछ मामलों में औद्योगिक अभिकल्प शामिल है। इसके साथ-साथ, देश के अनुसंधानकर्ताओं को अनुसंधान प्रकाशन करने और बौद्धिक संपदा सृजन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि उन्हें करियर की प्रगति हेतु प्रदर्शन संकेतकों में से एक माना जाता है।

(ग) सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) और पेटेंट दाखिल करने के बारे में जागरूकता सृजित करने हेतु कई कदम उठाए हैं, जैसे कि डीएसटी द्वारा सहायित पेटेंट सुविधा केंद्र, वैज्ञानिकों को विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में किए गए आविष्कारों के लिए पेटेंट और अन्य आईपीआर दाखिल करने और अभियोजन में सहायता कर रहा है, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए आईपीआर जागरूकता कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है; आईपीआर में डीएसटी-वाइज इंटर्नशिप, महिला वैज्ञानिकों को आईपीआर और संबंधित क्षेत्रों में एक वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान करती है; डीएसटी - राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (एसएसटीपी), राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों में स्थापित पेटेंट सूचना केंद्रों (पीआईसी) को सहायता प्रदान करता है, जो अपने संबंधित राज्यों में जागरूकता सहित बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) से संबंधित गतिविधियों को सुविधा प्रदान करते हैं; डीएसटी - प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (टीडीपी) अन्वेषकों / नवप्रवर्तकों को विचार उत्पन्न होते ही अनंतिम आईपीआर दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है और प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक विकसित होने पर पूरी फाइलिंग शुरू की जाती है; डीएसटी सहायित प्रौद्योगिकी सक्षम केंद्र (टीईसी) विश्वविद्यालयों में प्रौद्योगिकी विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं और आईपी प्रबंधन हेतु पेशेवरों को शामिल करते हैं, अनुसंधानकर्ताओं को पेटेंट दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित और सुविधा प्रदान करते हैं; और डीएसटी सहायित प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर भी अपने इनक्यूबेटीज को बौद्धिक संपदा (आईपी) दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित और सहायता प्रदान करते हैं। डीबीटी ने बड़े पैमाने पर सामाजिक प्रभाव हेतु प्रौद्योगिकियों/उत्पादों के व्यावसायीकरण के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आईपी के निर्बाध अंतरण को सुसाध्य बनाने के लिए "डीबीटी बौद्धिक संपदा दिशानिर्देश 2023" जारी किए हैं; और डीबीटी - जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी), स्टार्ट-अप, एसएमई और शैक्षणिक संस्थानों को आईपी और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सेवाओं तक व्यापक पहुंच प्रदान करता है।

(घ) पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट, 2022-23 के अनुसार, भारतीय निवासियों (43,301) द्वारा दायर पेटेंट आवेदनों की संख्या गैर-निवासियों (39,510) की संख्या से अधिक है।

*****